कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-23.11.2024

विषयः- चोरी के मुकदमें में वांछित शातिर अभियुक्त दृग प्रताप सिंह उर्फ नारद सिंह थाना चौबेपुर पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 अदद घण्टी पीली धातु, चोरी का माल बेंचकर प्राप्त रुपयों मे से शेष बचे कुल 1420/- रू0 नकद तथा घटना मे प्रयुक्त औजार व 01 अदद मोटर साइकिल बरामद।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा अपराध एवं अपराधियों की की रोकथाम तथा चोरी/लूट/नकबजनी की घटनाओं के अनावरण एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन में, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ के नेतृत्व में, थाना चौबेपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 0722/2024 धारा 305 बी0एन0एस0 व बढोत्तरी धारा 317(2) बी0एन0एस0 थाना चौबेपुर कमि0 वाराणसी से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त दृग प्रताप सिंह उर्फ नारद सिंह पुत्र फतेह बहादुर सिंह निवासी ग्राम सिसौड़ा कला थाना धीना जिला चन्दौली को आज दिनांक-23.11.2024 को समय करीब 01.40 बजे ग्राम मुस्तफाबाद रामचंदीपुर मार्ग पर ही मोड़ से पहले स्थित पुरानी शिव मंदिर थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद घण्टी पीली धातु, चोरी का माल बेंचकर प्राप्त रुपयों मे से शेष बचे कुल 1420/- रूपये नकद तथा घटना मे प्रयुक्त औजार व 01 अदद मोटर साइकिल बरामद हुई। उक्त गिरफ्तारी/बरादमगी के आधार पर थाना चौबेपुर पुलिस द्वारा अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण- दिनांक-04.11.2024 को वादी मुकदमा ने रामपुर ढाब स्थित काली माता मन्दिर से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा काली माता जी की नाक की नथिया व मांगटीका सोने का चोरी कर लेने के सम्बन्ध में लिखित प्रार्थना पत्र दिया जिसके आधार पर थाना चौबेपुर में मु0अ0सं0-722/2024 धारा 305 बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 जितेन्द्र कुमार वर्मा द्वारा संपादित की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त दृग प्रताप सिंह उर्फ नारद सिंह ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरे ऊपर चंदौली में कई सारे चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। जिसके चलते मैं वहाँ जिला बदर व हिस्ट्रीशीटर हूँ तो इसलिए मैं सिगरौली में रहता हूँ और वहीं से अपनी इसी बाइक से बनारस, गाजीपुर, मिर्जापुर आते-जाते चोरी करता हूँ। दिनांक-03/11/2024 को भी मैं अपनी इसी बाइक से गाजीपुर होते हुए बनारस आया था और जाल्हूपुर में कच्चा बाबा आश्रम में विश्राम किया था और फिर दोपहर में पचरांव मुस्तफाबाद होते हुये यहीं बगल के गांव रामपुरढाव में एक काली माता मंदिर में चोरी के उद्देश्य से रेकी किया था और फिर दिनांक-03/04-11-2024 की रात को इसी मोटर

साइकिल से जाकर रामपुर ढाव में काली माता मंदिर में इसी आरी व पलाश से मंदिर का ताला काटकर मंदिर में घुसकर मूर्ति पर पहनाये हुये नथिया व मांगटीका को चोरी किया था और फिर मन्दिर से निकलते समय मंदिर में टंगी घन्टियों को भी उतारने का प्रयास किया था किन्तु घन्टियों से तेज आवाज आने की वजह से सिर्फ एक यही घन्टी उतार पाया था। आनन-फानन मे मन्दिर से नथिया, मांगटीका व घण्टी को चुराकर इसी बाइक से उकथी होते हुये चौकाघाट अंधरापुल होते चुनार अहरौरा सोनभद्र होते हुये मैं सिंगरौली निकल गया था, वहाँ म0प्र0 छत्तीसगढ़ से अक्सर अनजान व्यक्ति आते हैं जो चोरी के माल को आधे-पौने दाम में बेचवाकर खरीद कर चले जाते है उनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। मैंने भी उन्हीं को चुराया हुआ नथिया व मांगटीका कुल 6000/- रू0 नकद में बेंच दिया था और घण्टी एक ही होने के कारण उसकी बिक्री नहीं हो पायी थी, जिसे मैं अपने पास ही रख लिया था कि और घण्टियां चोरी करके तब सबको साथ मे बेचूंगा। नथिया व मांगटीका बेचने से मिले पैसो में से मेरे पास बस यही 1420/- रुपये बचे है बाकी खर्च हो गये है। समय बीत जाने के उपरांत आज मैं यहाँ फिर से इसी फिराक में आया था कि सूनसान मंदिर में चोरी करूंगा किन्तु आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-</u>

दृग प्रताप सिंह उर्फ नारद सिंह पुत्र फतेह बहादुर सिंह निवासी ग्राम सिसौड़ा कला थाना धीना जिला चन्दौली, उम्र 40 वर्ष।

<u>गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय-</u> ग्राम मुस्तफाबाद रामचंदीपुर मार्ग पर ही मोड़ से पहले स्थित पुरानी शिव मंदिर थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी से, दिनांक-23.11.2024 को समय करीब 01.40 बजे।

<u>बरामदगी का विवरण-</u>

01 अदद घण्टी पीली धातु, चोरी का माल बेंचकर प्राप्त रुपयों मे से शेष बचे कुल 1420/- रूपये नकद तथा घटना मे प्रयुक्त औजार (01 अदद आरी व 01 अदद पलाश) व 01 अदद मोटर साइकिल हीरो पैशन प्रो वाहन सं UP67 J 2532 बरामद।

<u>आपराधिक इतिहास-</u>

01- मु0अ0सं0 0722/2024 धारा 305/317(2) बी0एन0एस0 थाना चौबेपुर कमि0 वाराणसी।
02- मु0अ0स0 0069/2021 धारा 20/8 एनडीपीएस थाना धीना जनपद चंदौली।
03- मु0अ0सं0 0031/2021 धारा 380/411 भादवि थाना धानापुर जनपद चंदौली।
04- मु0अ0सं0 0010/2017 धारा 379/411 भादवि थाना कन्द्वा जनपद चंदौली।
05- मु0अ0सं0 0098/2018 धारा 379/511 भादवि थाना चन्दौली जनपद चंदौली।
06- मु0अ0सं0 0138/2009 धारा 110 दं0प्र0सं0 थाना धीना जनपद चंदौली जनपद चंदौली।

<u>गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-</u>

1. प्र0नि0 जगदीश कुशवाहा थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ0नि0 जितेन्द्र कुमार वर्मा थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
3. का0 प्रमोद कुमार थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी